एफ.आर. क्रिम. मिस. 19/2015

दिनॉक 11–04–2015

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। वादी मुकदमा श्री शिशुपाल यादव द्वारा प्रार्थनापत्र ए इस आशय से प्रस्तुत किया कि उन्होनें घटना की बावत् मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रस्तुत की है। अतः उसे भी अन्तिम आख्या के विरूद्व कोई आपत्ति नहीं हैं। अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने की कृपा की जायें।

13ए प्रार्थनापत्र पर वादी शिशुपाल सिंह के लगे फोटों व हस्ताक्षरों को उनके विद्वान अधिवक्ता अशोक कुमार नायक द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है। प्रार्थनापत्र पर वादी मुकदमा के हस्ताक्षरों को मेरे द्वारा भी मुकदमें की तहरीर 5अ पर उनके हस्ताक्षरों से मिलान किया ,जो सही प्रतीत होंतें है। वादी मुकदमा द्वारा कहा गया है कि उन्होनें स्वेच्छा से अपनी अनापत्ति ए प्रस्तुत की है,। अतः मेरी राय में अनापत्ति ए स्वीकार होकर अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ए स्वीकार किया जाता है तथा अ.सं. 291ए/2014 धारा 147, 323, 504, 392 भा0दं0सं0 पुलिस थाना कोतवाली, झॉसी में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंन्तिम आख्या संख्या 72/14 दिनांक 30–06–2014 स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार)
विशेष न्यायाधीशद0प्र0क्षे0अधि0झॉसीं।